न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/603

1. बेनिया आत्मज मुरलिया जाति रेगर निवासी बंघा धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायकमुकामान :–
   1/1. रामदेव आत्मज बेनया जाति रेगर ।
   1/2. रामचन्द्री पुत्री बेनिया जाति रेगर निवासीगण बंघा धर्मपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   1/3. पुष्पा बाई पुत्री बेनिया पत्नी रामेश्वर जाति रेगर निवासी बनेठिया तहसील दीगोद जिला कोटा ।
   1/3. मनभर बाई पुत्री बेनिया पत्नी मोहन जाति रेगर निवासी महावीर नगर, तृतीय कोटा ।

बनाम

1. रतन लाल आत्मज भोला जी जाति रेगर निवासी भीलों की बस्ती के पास रंगबाडी, कोटा
2. देव बाई पुत्री नोला पत्नी लटूर जाति रेगर निवासी बोराबास तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओम प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री तेजसिंह धाभाई, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 09.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम आवंली तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल 03 किता की 17 बीघा भूमि स्थित है । खसरा नम्बर 148/6 की 10 बीघा आराजी वादी के कब्जे काश्त की थी । खसरा नम्बर 147 की 05 बीघा एवं खसरा नम्बर 148 की 02 बीघा कुल 02 किता की 07 बीघा आराजी प्रतिवादी कम 01 के पिता के खाते की आराजी थी । प्रतिवादी के पिता ने खसरा नम्बर 147 की 05 बीघा व खसरा नम्बर 148 की 02 बीघा कुल 07 बीघा वादी को

बेचान कर कब्जा संभला दिया जिस पर वह निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 251 की रकबा 2.76 हैक्टर कायम किये गये । उक्त भूमि सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के पिता व वादी के शामलाती खाते में दर्ज कर दी गई। राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम दर्ज होने से उनके मन में बदयान्ति आ गयी है और वे वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल कर उक्त भूमि को बेचान करने पर आमादा है ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम विलोपित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को उक्त भूमि से बेदखल नहीं करे तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें, उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द व अन्तरण नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादी कम 01 व 2 द्वारा जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.07.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से न्याय व नियमों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को न तो कोई सूचना दी गई और न ही कोई सुनवायी का अवसर प्रदान किया गया है । उक्त आराजी पर वादीगण अपीलान्ट का कब्जा काश्त है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14.11.2017 को अपने वकील साहब से मिलने पर हुई जिस पर नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया और दिनांक 15.11.2017 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि सेटलमेंट पूर्व खसरा नम्बर 148/6 की 10 बीघा आराजी अपीलान्ट के पिता को नियमित की गई थी और पुराने खसरा नम्बर 147 की 05 बीघा व 148 की 02 बीघा कुल 02 किता की कुल रकबा 07 बीघा रेस्पोडेन्ट के पिता स्वर्गीय नोला जी को दिनांक 02.10.1969 को आवंटित की गई थी । स्वर्गीय नोला जी एवं रेस्पोडेन्ट उनके वारिसान द्वारा उक्त भूमि को अपीलान्ट के पिता को बेचान कर बेचाननामा आलेखित कर कब्जा अपीलान्ट के पिता को संभला दिया था । तब से ही अपीलान्ट का उक्त आराजी पर कब्जा चला आ रहा है। इस आराजी के नये खसरा नम्बर 251 रकबा 2.76 हैकटर कायम किये गये और राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से अपीलान्ट के कब्जे व खाते की भूमि पर रेस्पोडेन्ट व अपीलान्ट का संभाग रूप से गलत इन्द्राज कर दिया । इस कारण अपीलान्ट ने घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया । जवाबदावा पेश होने के उपरान्त दोनों पक्षों की साक्ष्य नहीं ली गई और इसको लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में दावा खारिज कर प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया गया । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट एवं अपीलान्ट के पिता का रहा है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा आरजी का बेचान कर प्रतिफल राशि प्राप्त कर ली गई है । इकरारनामा भी आलेखित किया गया । दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर ही निर्णय पारित करना चाहिए था । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित होने के अधिकारी हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी के पक्ष में आराजी का विक्रय नहीं किया गया है । वादग्रस्त आराजी पर नोला जी काबिज रहे हैं और उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट काबिज हैं । आराजी खसरा नम्बर 147/1 एवं 148/4 की 07 बीघा का रकबा 1.12 हैक्टर बनता है जो प्रतिवादीगण के खाते में पृथक से दर्ज किया जाना चाहिए था और अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रतिवादी के खाते में दर्ज करने के आदेश पारित किये हैं । वादी के द्वारा जो दस्तावेजात बताये गये हैं वो फर्जी एवं बनावटी है। एक तरफ वादी प्रतिकूल कब्जे की बात करते हैं और वहीं दूसरी तरफ बेचान की बात करते हैं जो विरोधाभासी हैं । अपंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व न्यायालय से कोई सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली वास्ते कायमी संशोधित तनकी में लम्बित थी इसमें दिनांक 08.06.2015 की तारीख दी गई थी । इसके उपरान्त कई तारीख पेशियॉ जनरल नोटिस के तहत दी गई और दिनांक 26.06.2017 से दिनांक 06.07.2017 लोक अदालत की तारीख दी

गई । दिनांक 06.07.2017/07.07.2017 अंकित कर पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई अंकित किया गया है और दिनांक 07.07.2017 को लोक अदालत में पक्षकारों की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करते हुए वादी का दावा खारिज किया गया है और प्रतिवादी के काउन्टर क्लेम को स्वीकार किया गया है । लोक अदालत में न तो पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है । सीपीसी की पालना किये बिना गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया गया है ।

13. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.07.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट विवेचन करते हुए सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.01.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 09.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा